PATNA WOMEN'S COLLEGE 1940

Geography
Explore–Journal of Research
ISSN 2278 – 0297 **(Print)**
ISSN 2278 – 6414 **(Online)**
© Patna Women's College, Patna, India
http://www.patnawomenscollege.in/journal

मद्यनिषेध के सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव : पटना नगर निगम क्षेत्र का एक प्रतीक अध्ययन

• शिप्रा मिश्रा • शिवा प्रिया • मधु सिन्हा
• अवधेश कुमार

Received : November 2016
Accepted : March 2017
Corresponding Author : अवधेश कुमार

Abstract : प्रस्तुत लघु शोधपत्र का विषय बिहार में मद्य निषेध एवं उसके सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का अध्ययन है जिसका प्रतीक क्षेत्र पटना शहर में किया गया है । इसके लिए पटना के इलाकों जैसे बोरिंग रोड, गाँधी मैदान, कंकड़बाग, दीघा को चुना गया है ।

प्रस्तुत लघु शोध का उद्देश्य मद्यपान से हो रहे सामाजिक-आर्थिक नुकसानों का अध्ययन स्वास्थ पर प्रभाव, घरेलू हिंसा, सामाजिक अपराध, सड़क दुर्घटना में मद्य सेवकों की सहभागिता का अध्ययन करना है । इसके लिए *100* मद्य उपभोगियों को चुना गया जिसमे हर उम्र के स्त्री एवं पुरूष शामिल थे। उनके जवाबों के आधार पर आँकड़े तैयार किए गए एवं उनके आधार पर यह शोधपत्र तैयार किया गया ।

इस शोध के दौरान यह बात सामने आई है कि प्रायः मद्य लेने वालों की शारीरिक एवं मानसिक दशा दयनीय हो जाती है । इसलिए मद्यपान करने वालों का तिरस्कार करने की जगह बिहार सरकार ने प्रभावशाली कदम उठाते हुए मद्य निषेध का कानून पारित किया है ।

संकेत शब्दः मद्य निषेध, मद्य सेवक, नशा मुक्ति ।

शिप्रा मिश्रा
B.A. III year, Geography (Hons.), Session: 2014-2017,
Patna Women's College, Patna University, Patna,
Bihar, India

शिवा प्रिया
B.A. III year, Geography (Hons.), Session: 2014-2017,
Patna Women's College, Patna University, Patna,
Bihar, India

मधु सिन्हा
B.A. III year, Geography (Hons.), Session: 2014-2017,
Patna Women's College, Patna University, Patna,
Bihar, India

अवधेश कुमार
Assistant Professor, Department of Geography,
Patna Women's College, Bailey Road,
Patna – 800 001, Bihar, India
E-mail : awadhesh.pwc.@gmail.com

परिचय :

मद्य निषेध का शाब्दिक अर्थ है, कि मद्य का निर्माण करना, मंगाना, भेजना, बेचना-खरीदना तथा सेवन करना एक गैर कानूनी क्रिया है । मद्य निषेध से लाभ और हानियाँ दोनो हैं। लाभ में, कार्य करने की क्षमता में इजाफा, बेहतर स्वास्थ, मानसिक शांति, गुनाह दर इत्यादि में कमी आते हैं। हानियों में आर्थिक नुकसान, तस्करी, काला बाजारी इत्यादि शामिल हैं। परंतु मद्य निषेध से हो रहे सामाजिक-आर्थिक प्रभाव सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं (Times of India)। भारत में मद्य निषेध करने वाला बिहार चौथा राज्य बन चुका है। गुजरात, नागालैण्ड एवं मिजोरम में भी मद्यपान पूर्णतः वर्जित है। इससे पूर्व 1979 में मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में मद्यपान पूर्ण रुप से निषेध किया था। परंतु वह निषेध उनके

उत्तराधिकारी श्री राम सुन्दर दास ने बढ़ते भ्रष्टाचार और दूसरे राज्यों से गैर कानूनी ढंग से शराब तस्करी का हवाला देते हुए हटा दिया था। किंतु इस बार बिहार डट कर खड़ा है और सभी परेशानियों के अतिरिक्त भी मद्य निषेध पर अमल करने को तैयार है ।

उद्देश्य :

इस अध्ययन के मुख्य उद्देश्य निम्नांकित हैं :

- मद्यपान से हो रहे सामाजिक, आर्थिक नुकसानों का अध्ययन करना ।
- व्यक्तिगत, सामाजिक एवं सामुदायिक नुकसानों की जानकारी प्राप्त करना ।
- स्वास्थ्य पर इसके कृणात्मक प्रभावों को जानना ।
- सामाजिक एवं घरेलू हिंसा, सड़क दुर्घटना में मद्य सेवकों की सहभागिता का अध्ययन ।
- मद्य निषेध पर बुद्धिजीवियों की प्रतिक्रिया जानना।

परिकल्पना :

इस अध्ययन की मुख्य परिकल्पनाएँ इस प्रकार हैं:

- मद्य निषेध का व्यापक प्रभाव निम्न आयुवर्ग के लोगों पर सर्वाधिक हुआ है।
- सड़क दुर्घटना, व्यवहारिक हिंसा, असामाजिक आचरण में कमी आई है।
- उपभोगियों के आर्थिक स्थिति को प्रोत्साहन मिला है।
- घरेलू हिंसा में कमी आई है।

विधितंत्र :

प्रस्तुत परियोजना कार्य को तीन चरणों में पूरा किया गया है। क्षेत्र सर्वेक्षण से पूर्व संबंधित विषय पर प्रकाशित लेखों, विचारों, पत्र-पत्रिकाओं का अध्ययन किया गया है। सरकारी प्रकाशन एवं आँकड़ों के संग्रहण से सर्वेक्षित किए जाने वाले क्षेत्रों के नक्शों का निर्माण किया गया है। सर्वेक्षण के लिए प्रश्नावलियों को तैयार किया गया एवं 100 मद्य उपभोगियों से साक्षात्कार के आधार पर आँकड़ों को तैयार किया गया। सर्वेक्षण के उपरांत एकत्रित किए गए प्राथमिक आँकड़ों को तालिकाबद्ध करके उनका विश्लेषण, आरेखीय प्रस्तुति के बाद यह शोधपत्र तैयार किया गया है।

आँकड़ाकोष :

प्रस्तुत अध्ययन 100 ऐसे मद्य उपभोगियों का यादृच्छिक चयन प्रक्रिया के माध्यम से चुन कर किया गया है, जो पटना में 10 या 10 से अधिक वर्षों से रह रहे हैं।

यह कार्य पटना नगर निगम के चार सर्किलों- नूतन राजधानी, बांकीपुर, कंकड़बाग, पटना सिटी सर्किलों में किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र :

प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र पटना नगर में अवस्थित है, जिसका अक्षांशीय विस्तार 2550' से 2538' उत्तरी अक्षांश तथा 855' पूर्व से 8510' पूर्वी देशांतर के मध्य अवस्थित है। पटना गंगा के दक्षिणी तट पर अवस्थित बिहार की राजधानी है जिसका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर है। पटना नगर निगम का क्षेत्रफल 101 वर्ग किमी० है, जिसकी कुल आबादी 1,683,200 (जनगणना, 2011) है। पटना नगर को चार सर्किलों में बाँटा गया है- नूतन राजधानी, बांकीपुर, कंकड़बाग एवं पटना सिटी ।

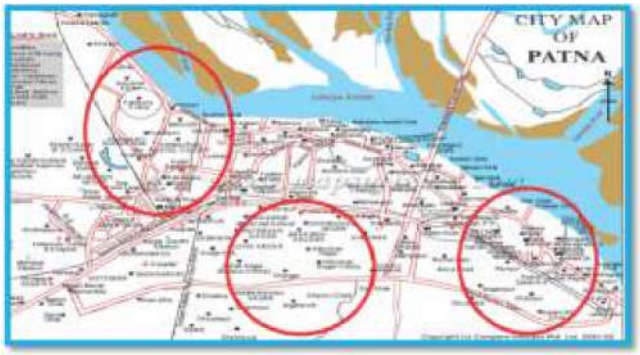

व्यक्तिगत जानकारी :

मद्य उपभोगियों की संख्या हमारे समाज में अधिक है। किसी को भी देखकर यह अंदाजा तक लगाना मुश्किल हो जाता है कि वह मद्य का सेवन करते होंगे या नहीं। इस प्रकार वे हमारे समाज का हिस्सा बन गये हैं। मद्य सेवन करना कोई गुनाह नहीं होता है, परन्तु उसकी मात्रा पर नियंत्रण न रह जाय और किसी के मद्य सेवन करने से उस पर तथा उसके परिवार पर, साथ ही साथ समाज पर बुरा असर पड़े, तब यह एक विकट परिस्थिति उत्पन्न कर देती है।

मद्यपान करने वाले कोई भी हो सकते हैं। हमारे पुरूष प्रधान समाज में वैसे तो पुरूष ही इस लत के शिकार होते हैं। निम्न स्तर, मध्यम स्तर, उच्च स्तर सभी में मद्य उपभोगियों की संख्या अच्छी खासी पायी जाती है और अगर अति में देखा जाय तो निम्नस्तर अपनी गरीबी और पैसों की कमी से परेशान होकर मद्य की तरफ

आकर्षित हो जाते हैं। उच्चवर्ग के लोग अपने व्यस्त जीवन में सुकून पाने और तनाव दूर करने हेतु मद्य सेवन का रास्ता चुनते हैं। मध्य स्तर के लोगों पर परिवारिक बोझ अधिक होता है और उस प्रकार वे अपना जीवन स्तर नहीं रख पाते हैं तथा वे झुनझुलाहट से निजात पाने के लिए मद्यपान प्रारंभ कर देते हैं। मद्य उपभोगी साधारणत: व्यस्क ही होते हैं। पर कुछ बच्चे और युवा अपने परिवार और समाज में मद्य उपभोगियों को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं (drunkdriving.co.in)। हमारे समाज में पढ़े लिखे और खुद को बुद्धिजीवी घोषित करने वाले भी इसके शिकार हो जाते हैं (Ahuja, 2007) । प्रस्तुत शोध में मद्य उपभोगियों के लिंगानुपात, आयु संरचना, उनके निवास क्षेत्र, उनकी वैवाहिक स्थिति और शैक्षणिक योग्यता को आधार मानकर उनके व्यक्तिगत जानकारी को प्राप्त करने की कोशिश की गयी है।

मद्य उपभोगियों का लिंगानुपात :

मद्य का प्रचलन हमारे समाज में पुरूषों द्वारा ही शुरू किया गया था, परन्तु जब स्त्रियों ने खुद को आत्मनिर्भरता और समानता की ओर अग्रसर किया, तबसे उनका भी मधपान में योगदान दीखना शुरू हुआ है।

चित्र 1 से यह स्पष्ट हो जाता है कि पटना नगर निगम के अंतर्गत आ रहे मद्य उपभोगियों में स्त्रियों का योगदान 16 प्रतिशत ही रहा। 84 प्रतिशत पुरूष और 16 प्रतिशत स्त्री का लिंगानुपात तीनों वर्ग-निम्न, मध्य और उच्च में पाया गया है।

सामाजिक प्रभाव :

मद्यपान के समाज पर कई प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। इन प्रभावों में मुख्य हैं- घरेलू हिंसा, छेड़-छाड़, चोरी, काला बाजारी, डकैती, मारपीट, हत्या इत्यादि। ऐसा अधिकतर निम्न या मध्यम वर्ग तथा अशिक्षित या मात्र साक्षर लोगों में होता है। सामान्यत: यह देखा गया है कि मद्यपान करने वाले व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। वे न चाहकर भी, उतेजना में हिंसक घटनाएँ कर बैठते हैं। न्यूनतम संख्या में ही ऐसे लोग होते हैं जो सामाजिक दायरों का उल्लंघन नहीं करते हैं तथा संयमित मद्यपान करते हैं। अत: अनियंत्रित मद्यपान एवं सेवन के उपरांत समाज पर कई कुप्रभावों का उत्पन्न होना आम है। अर्थात् यह कहा जा सकता है कि मद्यसेवन से सकारात्मक की तुलना में नकारात्मक प्रभाव अधिक पड़ते हैं। जहाँ कि मद्य का सेवन कुछ लोग थकान दूर करने, तनाव दूर करने, दवा इत्यादि के रूप में करते हैं, वहीं काफी संख्या में लोग इस के सेवन के उपरांत अवांछित कार्य करते हैं।

यह सर्वेक्षण पटना के तीनों वर्गों पर किया गया एवं उनकी मद्यपान की बारंबारता का अध्ययन तालिका 1 से समझा जा सकता है। दिन में एक बार मद्यपान करने वाले लोगों की भागीदारी 28 प्रतिशत है जो कि सबसे अधिक है। वहीं 20 प्रतिशत लोग दिन में दो से चार बार मद्यपान करते थे तथा महीने में दो से चार बार एवं सप्ताह में दो से चार बार मद्यपान करने वालों का प्रतिशत 18 प्रतिशत था। वहीं महीने में एक बार मद्य का सेवन करने वालों का प्रतिशत 16 प्रतिशत था।

तालिका 1 के विश्लेषण से यह निश्कर्ष निकाला जा सकता है कि अधिकांशत: लोग नित्य ही मद्यपान के आदि हैं। वहीं कुछ लोग जो कि महीने में एक बार मद्य का सेवन करते थे, वे कुछ ज्यादा आदि नहीं हैं बल्कि वे सामारोह एवं खास मौके पर ही मद्यपान करते हैं।

तालिका 2 से यह परिणाम सामने आता है कि पटना में मुख्यत: मद्यपान करने वाले लोगों ने देशी शराब, विदेशी शराब, भारत निर्मित विदेशी शराब का उपभोग किया है। मद्य उपभोगों में सबसे अधिक संख्या भारत निर्मित विदेशी शराब वालों की है, जिसका प्रतिशत 44 प्रतिशत है। वहीं देशी शराब उपभोगों का प्रतिशत 30 है एवं 26 प्रतिशत लोग विदेशी शराब का उपभोग करते थे जो कि न्यूनतम प्रतिशत है।

निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि अधिकांशत: लोग भारत निर्मित विदेशी शराब की ओर आकर्षित थे जबकि विदेशी शराब उपभोग करने वालों की संख्या सबसे कम है। इसका एक कारण यह भी कहा जा सकता है कि अधिकांशत: गरीब तबके के लोग जो कि महंगी शराब पर इतना ज्यादा व्यय नहीं कर सकते थे इसलिए उन्हें देशी शराब का विकल्प अपनाना पड़ता था।

तालिका 3 से यह पता चलता है कि 41 प्रतिशत मद्य सेवक विकल्प के रूप में कुछ नहीं लेते हैं। जबकि 33 प्रतिशत जनसंख्या पान-मसाला या गुटखा विकल्प के रूप में लेते हैं जो कि सबसे अधिक भागीदारी है। 11 प्रतिशत जनसंख्या ताड़ी पर आश्रित है एवं 3 प्रतिशत मद्य सेवक गृहनिर्मित शराब पर आश्रित है।

अपराध दर

मद्य उपभोग के उपरांत सामान्यत: ऐसा देखा गया है कि जो मद्य उपभोगी होते हैं वे अपने होश में नहीं रह पाते हैं एवं

नकारात्मक एवं अमानवीय कार्य करने को उतोजित हो जाते हैं। इस कारण से उनके आसपास के लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है एवं गुनाह दर, कष्ट हिंसा आदि जैसे अवस्थाओं का सामना करना पड़ता है।

परिवार के साथ बिताए गए समय में हुआ इजाफा

मद्यपान के उपरान्त सामान्यत: ऐसा देखा जाता है कि मद्य सेवक अपने मानसिक संतुलन पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं तथा अपने दिनचर्या से हटकर कार्य करते हैं। वे सायं को अपने गृह वापसी को छोड़ मद्यपान एवं अपने दोस्तों के साथ ज्यादा समय व्यतीत करते थे।

तालिका 5 से यह पता चलता है कि निषेधोपरान्त 73 प्रतिशत लोगों का मानना है कि मद्य सेवकों का परिवार के साथ बिताये जाने वाले क्षणों में इजाफा हुआ है। जबकि 27 प्रतिशत लोगों का कहना है कि इसमें कोई खास बदलाव नहीं आया है।

निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि 27 प्रतिशत लोग सामान्यत: गृह वापसी के उपरान्त अपने घर पर ही मद्यपान करते थे और उन्हें अपने आप पर मानसिक संतुलन था।

51 प्रतिशत लोगों को मद्य की उपलब्धाता नहीं पाती है। जबकि 49 प्रतिशत लोग अभी भी अन्य विधियों जैसे तस्करी (8 प्रतिशत), कालाबाजारी (21 प्रतिशत) तथा अन्य तरीके 20 प्रतिशत से शराब उपलब्ध कर लेते हैं।

आर्थिक प्रभाव का तात्पर्य किसी व्यक्ति के व्यवसायिक प्रभाव से है। मद्यपान निषेध का आर्थिक प्रभाव मुख्य रूप से उन लोगों पर पड़ा है जो मद्य का उपयोग काफी समय से कर रहे थे एवं अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा मद्य पर खर्च कर रहे थे। मद्य निषेध के उपरांत लोग अपनी कमाई का महत्वपूर्ण हिस्सा जरूरतमंद चीजों, शिक्षा एवं अपने भविष्य के लिए उपयोग कर सकते हैं। नशामुक्त व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक रूप से अपने कार्य को अच्छे ढंग से पूरा कर सकता है।

आर्थिक प्रभाव :

आर्थिक प्रभाव का तात्पर्य किसी व्यक्ति के व्यवसायिक प्रभाव से है (Grossman,1995) । मद्यपान निषेध का आर्थिक प्रभाव मुख्य रूप से उन लोगों पर पड़ा है जो मद्य का उपयोग काफी समय से कर रहे थे एवं अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा मद्य पर खर्च कर रहे थे। मद्यपान का आर्थिक प्रभाव राज्य पर भी पड़ा है। पिछले कुछ सालों के आँकड़ों को देखने पर पता चलता है कि 2004-05 में शराब से कमाई 272 करोड़ रूपये की थी और 8.15 प्रतिशत राजस्व कर शराब बिक्री से आता था। 2013-14 में इस कमाई में 3,300 करोड़ रूपये का इजाफा हुआ, एवं राज्य को 15. 60 प्रतिशत राजस्व का बढ़ावा मिला। सूबे में 600 करोड़ का कर केवल शराब व्यवसाय से एकत्रित होता था, 200 करोड़ देशी शराब से तथा 400 करोड़ विदशी शराब से आता था।

19 प्रतिशत लोगों की कमाई 50,000 से अधिक है, 25प्रतिशत लोग मघ्यमवर्ग के हैं जिनकी आय 5000 से 15000 के बीच है एवं 25 प्रतिशत उपभोगी 15000 से 50000 के बीच की कमाई करते हैं। 23 प्रतिशत मद्य उपभोगियों की आय 5000 से भी कम है और 8 प्रतिशत उपभागी ऐसे हैं जोकि बेरोजगार हैं। इनमें विद्यार्थी, गृहिणी इत्यादि भी शामिल हैं ।

शराब पर खर्च होने वाले पैसों को 30 प्रतिशत लोग खान-पान पर खर्च करते हैं। 9 प्रतिशत लोग शिक्षा पर व्यय करते हैं। 17 प्रतिशत लोग उन पैसों को मनोरंजन पर निवेश करते हैं तथा 34 प्रतिशत अन्य कार्यों पर व्यय करते हैं।

राजनैतिक प्रभाव :

शराबबंदी का प्रभाव राजनीति पर काफी हद तक पड़ा है। क्षेत्र अघ्ययन के दौरान यह पाया गया कि, कई राजनेता पटना के मलीन बस्तियों में रहने वाले मजदूर वर्ग एवं निम्न वर्ग इत्यादि को शराब का लालच देकर उनसे वोट खरीद लेते थे जिससे अयोग्य एवं बाहुबली उम्मीदवार का चुनाव जीतना आसान था। परन्तु अब शराब के राजनीति पर, अंकुश लग चुका है जो कि समाज एवं राज्य के विकास के लिए हितकर होगा। यह एक संगीन सामाजिक बुराई थी जिसका राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए था। अत: इस राजनीतिक बुराई को मूल में ही समाप्त कर देना चाहिए।

तालिका 6 दर्शाती है कि 57 प्रतिशत पटनावासी चाहते हैं कि बिहार में मद्य निषेध लागू रहना चाहिए। जबकि 43 प्रतिशत मानते हैं कि निषेध का हट जाना ही ठीक है।

स्वास्थ्य पर प्रभाव :

निषेध लागू करना एक बहुत अहम और अनिवार्य कदम था। सरकार ने बहुत ही सख्त कानून बनाकर निषेध की रक्षा करने का जिम्मा लिया हुआ है। 05 अप्रैल, 2016 से सम्पूर्ण बिहार में पूर्ण शराबबंदी तो लागू किया ही गया है, साथ ही शराब के उत्पादन, बिक्री, वितरण या उसे रखने पर न्यूनतम 10 वर्ष या आजीवन कारावास के साथ 1 लाख से 10 लाख रूपये तक के जुर्माने की सजा है।

इस सख्त कानून के बाद कई मद्य सेवकों के लिए यह बहुत ही कष्टदायी था। अचानक मद्य को त्याग कर देने से कितनों को लकवा, मिर्गी के दौरे पड़ने लगे थे। इन सबका ख्याल रखते हुए सरकार ने बिहार के कुछ जिलों में नशामुक्ति केन्द्रों की स्थापना करवायी थी कि ज्यादा-से-ज्यादा लोग वहाँ जाएँ और प्रशिक्षित डॉक्टरों से सही इलाज पाकर जल्द से जल्द मद्य को छोड़ सकने में सक्षम हों।

तालिका 7 से यह विदित होता है कि निषेधोंपरांत कुल 73 प्रतिशत उपभोगियों ने अपने स्वास्थ्य में सुधार पाया है। 27 प्रतिशत उपभोगियों ने कहा कि उनके सेहत में कोई बदलाव नहीं आया है। मद्य छोड़ने के कुछ अंतराल पर अपने सेहत में सुधार पाना इस बात का प्रमाण है कि मद्यपान हमारे शरीर में अनेक विफलताएँ पैदा करता है और उस पर नियंत्रण रखकर हम अपने साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता करते हैं।

तालिका 8 इस ओर संकेत करता है कि निषेधोपरांत मद्य को पूरी तरह से छोड़ देने में 54 प्रतिशत लोगों को परेशानी हुई, जबकि 46 प्रतिशत ने कहा कि मद्य को एकाएक छोड़ देने से उनके जीवन शैली पर कोई अहम प्रभाव नहीं पड़ा है। यह इस बात का प्रतीक है कि जिन 54 प्रतिशत उपभोगियों को आदत निवारण में मुश्किल आई वे नशे के आदि हो चुके थे और उनके मद्यपान की बारंबारता अत्यधिक थी। जिन 46 प्रतिशत मद्य उपभोगियों को मद्य छोड़ने में अधिक परेशानी नहीं हुई वे नियंत्रित मात्रा तक ही अपने मद्य के सेवन को सीमित रखते थे और उस से निवारण पाना उनके लिए आसान रहा।

तालिका 9 इस ओर संकेत करता है कि सरकार द्वारा निर्मित नशा-मुक्ति केन्द्र का फायदा उठाने में भागीदारी के आंकड़े प्रदर्शित करते हैं कि पटना के 23 प्रतिशत उपभोगी ऐसे थे जिन्होंने नशामुक्ति केन्द्र जाकर वहा के मुफ्त इलाज का फायदा उठाया था। जबकि 77 प्रतिशत उपभोगियों ने कभी भी नशामुक्ति के लिए चिकित्सा का रास्ता नहीं चुना। यह आँकड़े एक गम्भीर समस्या की ओर संकेत करते हैं कि नशामुक्ति केन्द्रों में व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी कि सभी रूचिकर उपभोगियों पर ध्यान दिया जा सके। लोगों में जागरूकता की कमी भी एक कारण थी (Gruber,2001)।

इन परिस्थितियों के उपरांत जब मद्य निषेध एक हकीकत बनकर सामने आई तब लोगों ने एहसास किया कि मद्य की आदत को खुद से दूर रखना ही ठीक है। मद्य उपभोगी निषेध के कारण अपने स्वास्थ में आए आशाजनक सुधार देखकर ही इस निष्कर्ष पर पहुँचे। निषेध के स्वास्थ पर अच्छे प्रमाण मिलने के साथ ही साथ मद्य सेवकों के सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में सुधार हुआ है। उनके आसपास के परिवेश में अमन और सुख का प्रसार हुआ है। निचले तबके के लोग जो मद्यपान करके अपने काम को कम समय दे रहे थे, अब अधिक समय अपने काम को देने लगे हैं जिससे कि उनके आय में भी वृद्धि हुई है।

इन सबसे ऐसा प्रतीत होता है कि मद्य निषेध लागू होने से लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है।

निष्कर्ष :

मद्यपान निषेध के बाद लोगों के सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी दशाओं में बदलाव के चिन्ह स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। मद्य त्याग करने वाले व्यक्तियों की मजदूरी में वृद्धि हुई है। सर्वेक्षण के दौरान यह पाया गया कि मद्य निषेध पारित होने के उपरान्त उनके दिनचर्या में काफी सुधार आया है एवं अपने परिवार के साथ बिताए गए क्षणों में इजाफा हुआ है। आर्थिक बचत के उपरांत उनके खान-पान की दशा में बदलाव की स्पष्ट झलक दिखाई पड़ते हैं। यह परिकल्पना 3 को प्रमाणित करता है। प्रति व्यक्ति के खुराक में कैलोरी वृद्धि देखी गई है। मुख्यत: यह स्थिति निम्न या मध्यम आय वर्ग में होता है। घरेलू हिंसा, सामाजिक हिंसा इत्यादि में सकारात्मक बदलाव आने लगा है जो हमारे परिकल्पना 2 एवं 4 को प्रमाणित करते हैं।

सुझाव :

शराबबंदी को बनाये रखने के लिए प्रमुख सुझाव निम्नलिखित हैं:-

1. नशामुक्ति केन्द्रों की संख्या बढ़ाना।
2. राज्य सीमा पर कानून व्यवस्था सख्त करवाना।
3. जिन लोगों का रोजगार मद्य पर आश्रित था, उन्हें सरकार के द्वारा विकल्प के रूप में जैसे-डेयरी फार्म, किराना दुकान इत्यादि विकल्पों को अपनाने में सहायता करवाना।
4. अन्य पेय पदार्थ जैसे-मिल्कशेक, लस्सी नारियल पानी इत्यादि के सेवन को बढ़ावा देना।
5. शराब से संबंधित होने वाले नुकसानों के बारे में आगाह कर एवं अन्य तरीके, जैसे-नुक्कड़ नाटक अपनाना तथा विद्यालयों में विद्यार्थियों को शराब के नकारात्मक प्रभावों से जागरूक करवाना।
6. कठिन कानून का दुरुपयोग भी कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है। जो सामाजिक वैमन्यस्यता के कारण है।

LIST OF TABLES

तालिका संख्या 1. मद्यपान की बारंबारता

मद्यपान की बारंबारता	संख्या	प्रतिशत
महीने में एक बार	16	16
महीने में 2-3 बार	18	18
हफ्ते में 2-3 बार	18	18
दिन में एक बार	28	28
दिन में 2-3 बार	20	20
कुल	100	100

स्रोत- क्षेत्र सर्वेक्षण 2016

तालिका संख्या 2. मद्य के प्रकार

मद्य के प्रकार	संख्या	प्रतिशत
नीरा	30	30
विदेशी शराब	26	26
भारत निर्मित शराब	44	44
कुल	100	100

स्रोत- क्षेत्र सर्वेक्षण 2016

तालिका संख्या 3. मद्यपान के अन्य विकल्प

मद्य के विकल्प	संख्या	प्रतिशत
गृह निर्मित मद्य	3	3
ताड़ी	11	11
पान मसाला/ गुटखा	33	33
अन्य	12	12
कुछ नहीं	41	41
कुल	100	100

स्रोत- क्षेत्र सर्वेक्षण 2016

तालिका संख्या 4. निषेधोपरांत गुनाह दर

गुनाह दर	संख्या	प्रतिशत
हाँ	83	83
नहीं	17	17
कुल	100	100

स्रोत- क्षेत्र सर्वेक्षण 2016

तालिका संख्या 5. पारिवारिक समय

पारिवारिक समय	संख्या	प्रतिशत
हाँ	73	73
नहीं	27	27
कुल	100	100

स्रोत- क्षेत्र सर्वेक्षण 2016

तालिका संख्या 6. निषेध लागू रखने की इच्छा

निषेध का लागू रहना	संख्या	प्रतिशत
हाँ	57	57
नहीं	43	43
कुल	100	100

स्रोत- क्षेत्र सर्वेक्षण 2016

तालिका संख्या 7. मद्य निषेध के स्वास्थ पर प्रभाव

स्वास्थ में सुधार	संख्या	प्रतिशत
हाँ	73	73
नहीं	27	27
कुल	100	100

स्रोत- क्षेत्र सर्वेक्षण 2016

तालिका संख्या 8. मद्य छोड़ने में परेशानी

मद्य छोड़ने में परेशानी	संख्या	प्रतिशत
हाँ	54	54
नहीं	46	46
कुल	100	100

स्रोत- क्षेत्र सर्वेक्षण 2016

तालिका संख्या 9. नशामुक्ति केन्द्र सुविधा

नशा मुक्ति सुविधा	संख्या	प्रतिशत
हाँ	23	23
नहीं	77	77
कुल	100	100

स्रोत- क्षेत्र सर्वेक्षण 2016

LIST OF FIGURE

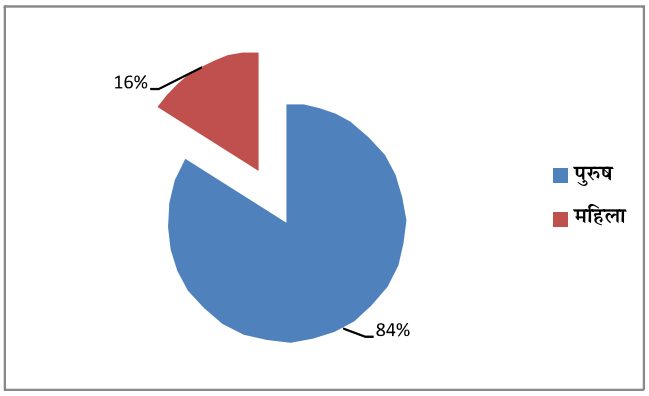

चित्र-1 मद्य उपभोगियों का लिंगानुपात

स्रोत- क्षेत्रअध्ययन, 2016

References :

Ahuja Ram(2007). Social Problems in India, p.688.

Census 2011.

Gruber J. and Koszeki B. (2001). "Is addiction rational? Theory and evidence" Quarterly Journal of Economics, p.1261.

Grossman M.; Chapluka, F.J. Saffer (1995). "An empirical analysis of alcohol addiction : Results from monitoring the future panels, NBER working paper no.:5200.

"The tragedy of prohibition", The Indian Express retrieved on 21 august 2016.

Web

"Legal Drinking Age : minimum drinking age in India" Drunkdriving.co.in retrieved on 2016-08-28